भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के शहीद
सूबा ज्ञानी रत्न सिंह
तथा
संत रत्न सिंह

अजीत सिंह नामधारी

पंजाब सरकार

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के शहीद
सूबा ज्ञानी रत्न सिंह
तथा
संत रत्न सिंह

अजीत सिंह नामधारी

पंजाब सरकार

BHARAT KE SWATANTARTA SANGRAM KE SHAHEED SUBA GYANI RATTAN SINGH TATHA SANT RATTAN SINGH

By : Ajit Singh Namdhari

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के शहीद
सूबा ज्ञानी रत्न सिंह
तथा
संत रत्न सिंह

लेखक : अजीत सिंह नामधारी

वर्ष	:	जुलाई, 2008
कापियां	:	5,000
प्रकाशक	:	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, पंजाब
मुद्रक	:	सरकारी प्रैस पंजाब, मोहाली
द्वारा	:	कंट्रोलर, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, पंजाब

पंजाब अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन

देश का सीमावर्ती राज्य होने के नाते यहां के निवासी शताब्दियों से विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करते आये हैं । पंजाब कई बार उजड़ा और इसकी भूमि रक्तरंजित हुई परन्तु पंजाबियों ने आक्रमणकारियों का डट कर मुकाबला किया और इसके साथ ही खून-पसीने से इस धरती को संवारा संजोया । परिणामस्वरूप पंजाब भारत का समृद्ध प्रान्त रहा है ।

अंग्रेज व्यापारी बनकर भारत आये परन्तु इस देश की चकाचौंध देखकर ललचा गए । मन ही मन में इस देश पर सदैव राज्य करने का फैसला कर लिया । वे जानते थे कि सात समुंद्र पार से आकर वे अपने ही बल पर करोड़ों भारतियों को गुलाम नहीं बना सकते इसलिए उन्होंने चतुराई से काम लिया और भारतियों को गुलाम बनाने के लिए भारतियों को ही इस्तेमाल किया । फूट डालो और राज करो की नीति अपना कर धीरे-धीरे वे अपने पांव फैलाते गए और अन्ततः 1849 में पंजाब पर कब्जा करके वे भारत के सम्राट बन गए ।

भारत पर राज्य करने और इसे अपने अधीन करने का मुख्य कारण इंग्लैंड को खुशहाल बनाना था इसलिए उन्होंने भारतीय मण्डियों से कच्चा माल उठाया, इंग्लैंड ले जाकर उसका रूप बदला और तैयार माल के रूप में लाकर दुगना मुनाफा कमाना शुरू कर दिया । हजारों वर्ग मील क्षेत्र में व्यापार करने के लिए यातायात के साधन विकसित किए और रेल लाईनों का निर्माण किया। अपनी सुविधा के लिए जगह-जगह अंग्रेजी स्कूल खोले, सरकारी अदालतें बनाईं तथा भारतियों का अपनी गौरवमई विरासत से दूर करने के लिए चर्च स्थापित करके इसाई मत का प्रचार

किया। कृषि प्रधान देश में कृषि के लिए पशुधन मुख्य स्रोत हैं । इस स्रोत को समाप्त करने के लिए जगह-जगह पर बूचड़खानें खोले गए । 29 मार्च, 1849 को जब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था उस समय यहां गौवध करने वाले के लिए मृत्यु दण्ड क़ी व्यवस्था थी । परन्तु एक मास से कुछ अधिक समय में अंग्रेजों ने भारत सरकार की सहमति से पंजाब प्रशासनिक बोर्ड के परिपत्र क्रमांम 03, दिनांक 05 मई, 1849 द्वारा पंजाब में गौहत्या की आज्ञा दे दी । 20 मई, 1849 को गवर्नर जनरल द्वारा आदेश जारी किया गया कि 'किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ौसी की धार्मिक मर्यादा या रीति-रिवाज में रूकावट डालने की आज्ञा या छूट न दी जाए ।'

इस प्रकार पंजाब में बूचड़खाने खोले जाने से धर्म के आधार पर लोगों में दूरियां पैदा होने लगीं क्योंकि हिन्दुओं के लिए गऊ माता पूज्य है परन्तु मुस्लमान गौभक्शी हैं । अंग्रेज भी गौमास खाते हैं । इसलिए मुस्लमानों को प्रोत्साहन मिल गया और समाज में धर्म के नाम पर झगड़े शुरू हो गए ।

- - - - -

कूका आन्दोलन और स्वाधीनता संग्राम

सत्गुरू रामसिंह जी ने महाराजा रणजीत सिंह की फौज में सेवा की थी । महाराजा के देहावसान उपरांत लाहौर खालसा दरबार की दुर्गति, सिख सरदारों का लालच, उदण्डता उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी । इसलिए 1845 में फौज की सेवा छोड़ कर वे श्री भैणी साहिब लुधियाना आ गए थे । पंजाब में खालसा राज के पतन के वे साक्षी थे । 1845 से 1857 तक पूरे 12 वर्ष उन्होंने देश की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का गहन चिन्तन किया । इनके समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया, योजनायें बनाई और अन्त में इन सभी से निपटने के लिए तथा देश और देशवासियों के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1857 की बैसाखी के दिन उन्होंने श्वेत तिकोणा पताका लहरा कर अंग्रेजी साम्राज्य के विरूद्ध स्वतन्त्रता संग्राम की घोषणा कर दी । स्वतन्त्रता संग्राम के इस संकल्प में मन की, तन की, धन की और धार्मिक मर्यादाओं की स्वतन्त्रता शामिल थी । यह एक ऐसे समाज के सृजन की कल्पना थी जिसमें गऊ तथा गरीब दोनो खुशहाल हों । गऊ आर्थिक खुशहाली का प्रतीक थी और गरीब मूल भारतियों की उन्नती का । गौरक्षा से कृषि विकास में सहयोग मिलना था, रोज़गार के अवसर बढ़ने थे, घरेलू उद्योग शुरू होने थे, गरीबी हटनी थी, रजवाड़ाशाही तथा जागीरदारी प्रथा का अन्त होना था, समाज में समानता आनी थी और अन्ततः देश में लोकतंत्र की स्थापना का स्वप्न साकार होना था ।

इसलिए सत्गुरू रामसिंह के आन्दोलन का आधार 'गऊ और गरीब' था तथा उद्देश्य था देश की आज़ादी । अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्ति के लिए: -

"(गुरू) रामसिंह सिख दार्शनिक, सुधारक, बरतानवी व्यापार तथा नौकरियों के प्रति असयोग और बहिष्कार को राजनैतिक शस्त्र के तौर पर प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय है।"

(इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका - अंक 8, पृष्ठ 142)

"हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आन्दोलन इतने जोर से चलाया उसको गुरू राम सिंह ने प्राय: 50 वर्ष पूर्व नामधारियों में प्रचारित किया था । उनके सिद्धांतों में 5 बातें हैं: -

1. सरकारी नौकरियों का बहिष्कार
2. सरकारी अदालतों का बहिष्कार
3. सरकारी स्कूलों का बहिष्कार
4. विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार
5. ऐसे कानून मानने से इन्कार जो अपनी आत्मा के विरूद्ध हो ।"

(डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद)

सत्गुरू जी ने सभी देशप्रमियों के साथ, देशी रियासतों के प्रमुखों के साथ और विदेश में नेपाल के राणा तथा रूस के ज़ार के साथ राजनैतिक सम्बन्ध् स्थापित करके अंग्रेज विरोधी सभी शक्तियों को संगठित करना शुरू किया । नामधारी समाज की गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजी शासकों तक न पहुंच इस उद्देश्य से अपनी 'कूका डाक व्यवस्था' शुरू कर दी । नामधारी सिखों के सैनिक प्रशिक्षण के लिए कश्मीर में 'कूका पलटन' संगठित की । विधिवत सम्पर्क बनाये रखने के लिए 'सूबा प्रणाली' की स्थापना की और नामधारी प्रचारकों को 'सूबा' की संज्ञा दी गई । प्रत्येक क्षेत्र में सूबा, सहायक सूबा, जत्थेदार और महंत आदि स्थापित किए गए । संक्षिप्त में यह कह सकते हैं कि 1857 - 67 के दशक में लाखों की संख्या में भारतीय सत्गुरू रामसिंह जी की कमान में जुड़ गए थे । देशवासी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए और वे जान गए कि उनका शत्रु अंग्रेज है । वे प्रत्येक गलि - मौहल्ले में अंग्रेज सरकार के विरूद्ध 'कूक' मारने लगे और इस प्रकार जनता में उनका नाम 'कूका' प्रचल्लित हो गया । स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास के पन्नों में उनके कारनामों को 'कूका आन्दोलन' के नाम से जाना जाता है ।

\- - - - - -

सूबा ज्ञानी रत्न सिंह

सत्गुरू रामसिंह जी द्वारा नियुक्त शूरवीर और ईमानदार व्यक्तियों में से जिन्हें सूबा का पद दिया गया, सूबा रत्न सिंह उर्फ ज्ञानी रत्न सिंह उर्फ ज्ञाना सिंह थे । ये सभी नाम एक ही व्यक्ति के प्रचल्लित हुए । इनके पिता रामकिशन मण्डी, रियासत पटियाला के निवासी थे । 1860-61 के करीब रत्न सिंह सत्गुरू रामसिंह जी के सम्पर्क में आये । उस समय उनकी आयु 24-25 वर्ष थी । सूझवान, देखने में सुंदर, बात-चीत में चुस्त, जोशिले, हठिले और समय की नज़ाकत को भांपने वाले ये सज्जन शीघ्र ही सत्गुरू रामसिंह जी के बहुत निकट आ गए और नामधारी सिख जगत में इन्होंने अपनी पहचान बना ली और सम्मानयोग्य स्थान बना लिया ।

जून 1863 में जब सत्गुरू रामसिंह जी ने 'आनंद कारज' अर्थात केवल सवा रूपए में बिना दाज-दहेज, मिलनी-मुकलावे के अन्तरजातिय सामूहिक शादियों की रीति का श्रीगणेश किया तो उन्हें 4 वर्ष के लिए 1863 से 1867 तक भैणी साहिब में ही नज़रबंद कर दिया गया । उस स्थिति में सत्गुरू जी ने प्रचार के लिए मुख्य व्यक्तियों को प्रचारक के रूप में सूबा नियुक्त किया । पहले 5 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और बाद में जो अन्य व्यक्ति सूबा बनाये गए उनमें से एक श्री रत्न सिंह भी थे । सूबा रत्न सिंह का कार्य क्षेत्र सतलुज नदी के बेट का सारा इलाका था । सूबा रत्न सिंह ने अपने क्षेत्र में सत्गुरू रामसिंह जी के उपदेशों और संदेश का खुलकर प्रचार किया, अंग्रेजों के विरूद्ध लोगों को लामबंद किया और देशी रियासतों के अंग्रेजों के पिट्ठू राजाओं के प्रति सावधान रहने को कहा । इनके प्रभावशाली प्रचार से देशी राजे तथा अंग्रेज दोनों ही दुखी हो उठे। महाराजा पटियाला ने 18 मास के लिए आपको जेल में बंद रखा । अपनी योग्यता के कारण सूबा रत्न सिंह ने मण्डी के मालवा क्षेत्र में 'अदालती सूबा' का दर्जा प्राप्त कर लिया । उनकी विद्वता के कारण उनके नाम के साथ 'ज्ञानी' उपनाम भी जुड़ गया ।

सत्गुरू पातशाह

सत्गुरू रामसिंह जी की धार्मिक क्रान्ति कब और कैसे सामाजिक चेतना तथा राजनैतिक आन्दोलन का रूप ले गई इस बात का अंग्रेजों को पता ही नहीं चला। अंग्रेजों की नाक के नीचे ही नामधारी सूबों ने सिखों को संगठित कर दिया। लोग जुड़ने लगे और 2 – 3 वर्षों में ही लाखों वीर नामधारी संगठन की शक्तिशाली लड़ी में पिरो दिए। सूबों ने ऐसा चमत्कार किया कि अंग्रेज शासक सत्गुरू रामसिंह जी के सूबों की संगठन करने की योग्यता को देखकर हैरान – परेशान हो गए। वे नामधारियों को अपने साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझने लगे। अम्बाला के कमिश्नर ने 4 नवम्बर, 1878 को एक पत्र में लिखा 'पहले दस्तावेज़ों में रामसिंह को गुरू नानक का गद्दीनशीन अथवा उसका वर्तमान रूप संत समझा गया था परन्तु अब वह गोबिन्द के जुझारू रूप का प्रतिनिधि है।

अम्बाला सर्किल के डी.आई.जी. लै० जनरल मैक्एंड्रयूज़ ने लिखा 'जब मैंने पहली बार उसके बारे में बालक राम हजरोंवाले के गद्दीनशीन होने के बारे में सुना था तब उसे रामसिंह महंत के नाम से जाना जाता था। बाद में उसे गुरू रामसिंह और फिर सत्गुरू रामसिंह तथा अब सत्गुरू पातशाह कहा जाने लगा है'।

यह शब्द पातशाह अंग्रेजों को बहुत कष्टकारी लगता था। 'अंग्रेज़ के कोष में पातशाह का अर्थ महारानी विक्टोरिया या उसके खानदान से किंग एडवर्ड आदि हो सकता है। प्राधीन भारत में किसी गुरू या नेता के साथ पातशाह का शब्द लगाया जाना अंग्रेजी साम्राज्य के विरूद्ध विद्रोह के समान माना जाता था। इसलिए सत्गुरू राम सिंह जी के साथ श्रद्धालुओं द्वारा पातशाह शब्द का जोड़ा जाना अंग्रेज शासकों की नजर में कूका आन्दोलन को विद्रोही करार देता था'।

अंग्रेज शासकों ने नामधारियों के इस कार्यक्रम को अपनी सरकार के विरूद्ध एक समानांतर सरकार समझा और इसके साथ विद्रोहियों जैसा व्यवहार किया'। (कामरेड सोहन सिंह जोश)

बूचड़खानें या अंग्रेजी शासन पर हमले
रायकोट की घटना

अंग्रेजी सत्ता के प्रतीक और भारतीयों की प्राधीनता के सूचक बूचड़खाने प्रत्येक देशभक्त के लिए दुखदायी थे। परन्तु अंग्रेज सरकार ने अपनी चतुराई से जिस राज्य में भी अपने पांव पसारे वहां बहुसंख्या लोगों को दबा लिया, अपने पिट्ठू बना लिया या वे अपनी स्थिति के प्रति उदासीन हो गए। जो थोड़े-बहुत विरोध में सक्रिय रहे वे अपने-आपको असहाय महसूस करते थे। पंजाबियों की गौरव की भावना के बचे हुए अंशों की परख के लिए अंग्रेजों ने अमृतसर की पवित्र धरती पर एक नहीं बल्कि दो बूचड़खाने खोले तथा इसके साथ ही प्रान्त के अन्य क्षेत्रों में भी गौहत्या होने लगी। ऐसा ही एक बूचड़खाना लुधियाना जिले के अधिकारी मि० रिक्ट्स की आज्ञा से 1856 से खुल गया था। इसके मुख्य बूचड़ थे- रांझा और बूटा। इन दोनों बूचड़ों के विरूद्ध कानून का उल्लंघन करने के मामले भी दर्ज हुए, अदालतों ने उन्हें जुर्माने भी किए परन्तु यह बूचड़खाना ज्यों का त्यों चलता रहा। सत्गुरू रामसिंह जी द्वारा किए गए 12-13 वर्ष के प्रचार के कारण समाज में चेतना आ गई थी और नामधारी सिख इन बूचड़खानों को अपनी राष्ट्रीय मृत्यु के समान समझने लगे थे। इसलिए उन्होंने श्री दरबार साहिब की पवित्रता की रक्षा के लिए 1871 में 14-15 जून की रात को वहां के बूचड़खाने पर हमला किया, बूचड़ों को मार दिया और गऊओं को स्वतन्त्र कर दिया। एक महीने के बाद 15 जुलाई, 1871 की रात को लगभग 8 बजे रायकोट में बूचड़खाने पर हमला किया गया। तीन नामधारी सिख अंदर गए, बूचड़ों की हत्या की और गऊओं को छुड़ाया, इस बीच बाकी सिख बाहर खड़े रहे। उस समय वर्षा हो रही थी। पुलिस थाना बूचड़खाने से 500 गज दूर था। पुलिस आई परन्तु उसे कोई सुराग न मिला।

अगले दिन सूचना मिलते ही लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर मि० कावन तथा पुलिस के उप-अधिक्षक मि० हैचल 16 जुलाई रात के समय जगरांव होते हुए रायकोट पहुंचे। उन्होंने बूचड़खाने पर हमला करने वालों का सुराग देने वाले को 1000 रूपया ईनाम तथा वादा मुआफ गवाह बनने

वाले को सज़ा से बचाने की घोषणा की । पदचिन्ह ढूंढने वाले व्यक्ति भी छोड़े गए। भम्मा सिंह और भूपा पदचिन्ह ढूंढते-2 रायकोट से नाभा रियासत के गांव जलालदीवाल तक पहुंए गए । वहां जाकर 2 व्यक्तियों के पदचिन्ह अलग-अलग हो गए । छः व्यक्तियों के पांव के निशान पटियाला रियासत के गांव छीनीवाल तक पहुंए गए । महाराजा महेन्द्र सिंह को अंग्रेज शासकों ने तार भेजी 'रायकोट के कातिलों के पांव के निशान छीनीवाल, रियासत पटियाला तक पहुंच गए हैं इसलिए लै॰ गर्वनर साहिब आपसे कहते हैं कि इन दोषियों को गिरफ्तार करवाने के लिए हरसम्भव सहायता दो'। तार मिलते ही महाराजा पटियाला ने दोषियों को पकड़वाने वाले को 250 रूपए नगद ईनाम देने की घोषणा की । नाभा के महाराजा हीरा सिंह ने भी लुधि याना में अपने वकील और अन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि इस मामले में अंग्रेजों की हरसम्भव सहायता की जाये ।

एक के बाद एक लगातार तीन हमलों ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था । पुलिस का डिप्टी इंसपैक्टर जनरल कर्नल बैली स्वयं रायकोट पहुंच गया ।

पटियाला रियासत द्वारा 21 जुलाई को सूचना दी गई कि उन्होंने अपनी रियासत में सात कूके गिरफ्तार कर लिए हैं ।

पंजाब सरकार के सचिव मि0॰ ग्रिफन ने भारत सरकार के सचिव ए.सी. बैली को सूचित किया कि बेशक स्वभाविक तौर पर हत्या को दोष कूका सिखों पर लगाया जायेगा परन्तु मुझे अभी भी पक्का विश्वास नहीं है कि असल हत्यारे पकड़े गए होंगे । उधर खजान सिंह को, जिसके डेरे तक बूचड़ों के हत्यारों के पांव के निशान पहुंचे थे, जब थानेदार मोवक्कल हुसैन के सामने पेश किया गया तो उसने तीन तलवारें बरामद करवा दीं और छीनीवाल निवासी दल सिंह तथा नाईवाल निवासी रत्न सिंह और पित्थो गांव के तीन व्यक्तियों के नाम बताये जो बूचड़ों के हत्यारे थे । दल सिंह को जब छीनीवाल से बसियां कोठी ले जाकर मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया तो उसने चूहड़चक निवासी गुलाब सिंह का नाम ले दिया । 23 जुलाई तक उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। दल सिंह ने अपना दोष स्वीकार कर लिया और धरती में दबी हुई चार तलवारें निकाल

कर पेश कर दीं । अब पित्थो निवासियों की बारी थी । 'सत्‌गुरू बिलास' का रचेयता संतोख सिंह लिखता है:-

'दलू जायकर पित्थो वालों को पकड़वाने लगा । तेजा सिंह ढिलमावाला ने खबर दी कि जेठूपुरा में रसाला आया हुआ है तुम्हे गिरफ्तार करने को, आप अपना बंदोबस्त करो । सभी सिख झिड़ी में जा बैठे । दूला सिंह ने कहा आप दौड़ जायें, हत्या आपके जिम्मे है, आपको नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं बचेंगे । मस्तान सिंह ने कहा कि अगर हम दौड़ गए तो वे दूसरों को तंग करेंगे, वारदात हमने की है, हम ही उसके कारण हैं, अपने सिर पर झेलेंगे, औरों को दुख नहीं होने देंगे । वारदात करने के बाद दौड़ना नहीं चाहिए, सीधे होकर शीश देंगे' ।

इस प्रकार इस घटना में भाग लेने वाले संत मस्तान सिंह, मंगल सिंह और गुरमुख सिंह भी पकड़े गए । दो को पहले ही पकड़ लिया गया था । दल सिंह ने नांईवाल के रत्न सिंह को भी पकड़वा दिया । सूबा रत्न सिंह को खन्ना से गिरफ्तार कर लिया गया ।

24 जुलाई, 1871 को लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर मि० कावन ने बसियां कोठी से पंजाब सरकार को रिपोर्ट भेजी जिसमें लिखा था:

'पकड़े गए 7 कूका सिखों में से नि:संदेह 4 हत्या के दोषी हैं । उनकी तलवारें भी मिल गई हैं । इनमें से 4 तलवारों पर रक्त के निशान हैं और मांस भी लगा हुआ है । दल सिंह वादा मुआफ गवाह बन गया है, गुलाब सिंह पकड़ा गया है और इलाके का सूबा ज्ञानी सिंह है, उसका उपनाम रत्न सिंह है । ज्ञानी सिंह पहले भी पटियाला में 2 साल कैद काट चुका है' ।

केवल एक-दो दिनों में ही मिसल को मुकम्मल करके मैजिस्ट्रट द्वारा सेशन जज को सौंप दी गई । सैशन जज मि० जे.डब्ल्यू. मैक्नब पहले ही बसियां कोठी पहुंच गया था । मुकदमा पेश हुआ, गवाहियां हुई और सत्‌गुरू रामसिंह जी को भी गवाही के लिए बसियां बुलाया गया ।

27 जुलाई, 1871 को सैशन जज ने संत मस्तान सिंह, संत मंगल सिंह और संत गुरमुख सिंह को, जो तीनों पित्थो निवासी थे, और

चूहड़चक के गुलाब सिंह को हत्या के दोषी घोषित करते हुए मृत्यु दंड सुना दिया । असैसरों ने भी उन्हें दोषी करार दे दिया ।

28 अगस्त के बाद सूबा रत्न सिंह व संत रत्न सिंह नांईवाल को लुधियाना जेल भेज दिया गया और मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए मुकदमे की मिसल चीफ कोर्ट को भेज दी गई ।

पहली अगस्त, 1871 को चीफ कोर्ट के दो जजों सी. बोलीनस तथा जे.एस. कैम्पल ने चारों दोषियों को मृत्यु दंड देने की पुष्टि कर दी । कुल नौ दिनों में मुकदमें की मिसल तैयार की गई, गवाहियां हुई, सेशन जज ने निर्णय दिया और चीफ कोर्ट ने मुहर लगा दी ।

परन्तु इस मुकदमें की एक विशेषता है कि चीफ कोर्ट के मृत्यु दंड के आदेश के बाद गुलाब सिंह को वादा मुआफ गवाह बनाया गया । क्या कानून में ऐसा हो सकता है ? परन्तु नामधारियों पर कानून नहीं राजनीति लागू थी क्योंकि उन्होंने बूचड़ों की हत्या करके सरकारी आदेश की अवहेलना की थी और सरकार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया था ।

यह गुलाब सिंह वहीं बदमाश और चरित्रहीन व्यक्ति था जिसकी चर्चा गुरू रामसिंह जी की चिट्ठियों के अंग्रेजी प्रारूप वाली पुस्तक में मि० वारब्रटन ने एक नोट में की है । उसने दमदमा साहिब में शिक्षा प्राप्त की थी । कामी, दुराचारी और बदमाश होने के कारण गुरू रामसिंह जी ने उसे संगत-पंगत से अलग कर दिया था । सम्वत् 1920 वाले अपने परिपत्र में गुरूराम सिंह जी ने संगतों को आदेश दिया था कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को संगत में न आने दिया जाये । (नाहर सिंह -नामध ारी इतिहास)

इस प्रकार मृत्यु दंड की पुष्टि किए जाने के बाद 5 अगस्त, 1871 को इन तीनों नामधारी सिखों- संत मुल्तान सिंह, संत मंगल सिंह और संत गुरमुख सिंह को रायकोट के बूचड़खाने के निकट सार्वजनिक स्थान पर सरेआम फांसी देकर शहीद कर दिया गया ।

सूबा रत्न सिंह
और
संत रत्न सिंह जी को फांसी

अंग्रेज सरकार मन बना चुकी थी कि सत्गुरू रामसिंह जी और उनके नियुक्त किए गए सूबों पर किसी न किसी प्रकार मुकदमा चला कर और उन्हें दंड देकर 'कूका आन्दोलन' को समाप्त कर दिया जाये । सूबा ज्ञानी रत्न सिंह प्रमुख सूबा थे इसलिए रायकोट की घटना की आड़ में अंग्रेज सरकार ने सूबा रत्न सिंह को समाप्त करने की ठान ली ।

21 सितंबर, 1871 को मैजिस्ट्रेट द्वारा मिसल तैयार करके सैशन जज मि0 जे.डब्ल्यू. मैक्नम के समक्ष रखी गई जिसके अनुसार सूबा रत्न सिंह मण्डी और रत्न सिंह नांईवाल पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 तथा 302 के अन्तर्गत दोष लगाया गया था कि उन्होंने हत्यारों को हत्या करने के लिए कहा और हत्या के लिए प्रोत्साहित किया ।

सैशन जज मि0 मैक्नम ने दल सिंह और गुलाब सिंह दोनों वादा मुआफ गवाहों तथा रामकौर, दीदार सिंह साध, जीवन सिंह नम्बरदार, गांव जोगा, काला सिंह, जवाहर सिंह और गुरदित्त सिंह द्वारा दी गई गवाहियों के आधार पर और रत्न सिंह नांईवाल के बयान को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया कि सूबा रत्न सिंह और रत्न सिंह नांईवाल ने तलवारें एकत्रित कीं और अन्य व्यक्तियों को बूचड़ों की हत्या करने के लिए उकसाया । इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि उन्हें हत्यारों की साजिश का पूरा ज्ञान था । भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 109 और 302 के तहत उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई । तीन देसी असैसरों

मीर गुलाम मोहम्मद, श्री चन्दू लाल और श्र कन्हैया लाल ने भी दोनों को दोषी करार देते हुए सैशन जज के निर्णय की पुष्टि कर दी । यह निर्णय 26 अक्तूबर, 1871 को सुनाया गया ।

सैशन जज ने मुकदमा क्रमांक 65, वर्ष 1871 के हवाले से भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 398 के अधीन दंड की पुष्टि का मामला चीफ कोर्ट के तीन जजों सी.बौलीनस, सी. आर. लिंडसे और जे.सी. कैम्पल के बैंच के सामने पेश किया । मुकदमें की मिसल इस प्रकार थी: -

सरकार बनाम
1. रत्न सिंह पुत्र बुध सिंह, जात कूका, उम्र 28 साल, गांव नाईवाल
2. ज्ञानी उर्फ रत्न सिंह पुत्र रामकिशन, जात कूका, उम्र 36 साल, गांव मण्डी

अपराध - हत्या करवाना तथा हत्या के लिए उकसाना

धारा - भारतीय दंड संहिता की धारा 109 तथा 302

जज बौलीनस ने 11 नवंबर, 1871 को दोनों के मृत्युदंड को बदलकर काले पानी की सजा सुनाई क्योंकि उसके अनुसार सैशन जज ने ज्ञानी रत्न सिंह सूबा को मृत्यु की सजा रत्न सिंह नाईवाला के बयान को गवाही बनाकर दी है । यह कानून और फौजदारी मुकदमें की कार्यवाही की विधि के विपरीत है । क्योंकि दोनों अपराधियों के विरूद्ध एक ही अपराध के लिए इक्ट्ठा मुकदमा चल रहा था इसलिए रत्न सिंह नाईवाल ने जो कहा है उसे कानून के अनुसार गवाही नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार उसने बाकी गवाहों गुलाब सिंह, दीदार सिंह साध मौड़ांवाला, गुरदित्त सिंह, रामकौर और दल सिंह के बयानों के सच और झूठ का भी अच्छी तरह विशलेषण किया । बौलीनस के अनुसार मिसल में शामिल गवाहियों से यह साबित नहीं होता कि ज्ञानी ने सचमुच ही इन

हत्याओं में सीधे तौर पर भाग लिया था । उसने लिखा 'यह सम्भव है कि हत्या के लिए विचार-विमर्श में उसने हिस्सा लिया हो इसीलिए उसके मृत्युदंड को बदल कर काले पानी की सजा का निर्णय किया गया ।' रत्न सिंह नांईवाल को भी काले पानी की सज़ा दी गई । परन्तु जज कैम्पल ने इस मुकदमें को अर्द्धराजनीतिक रंगत देकर सैशन जज द्वारा दी गई मौत की सज़ा की 14 नवम्बर, 1871 को पुष्टि कर दी ।

तीसरे जज लींडसे ने भी 23 नवम्बर, 1871 को अपने संक्षिप्त निर्णय में दोनों सिखों को मृत्युदंड देने की पुष्टि कर दी ।

इस प्रकार चीफ कोर्ट द्वारा 2-1 के निर्णय से ज्ञानी से रत्न सिंह और रत्न सिंह नांईवाल के मृत्युदंड की पुष्टि हो गई । फांसी के लिए 26 नवम्बर, 1871 का दिन निश्चित किया गया ।

फांसी सरेआम दी जानी थी ताकि लोगों में भय पैदा हो । फांसी के लिए लुधियाना सैंट्रल जेल के बाहर वट वृक्ष के साथ रेशमी फंदे लटकाये गए । लोग भारी मात्रा में एकत्रित हो गए थे इसलिंए सुरक्षा की व्यवस्था की गई । एकत्रित लोगों में कई देशप्रेमी थे तो कई तमाशबीन । परन्तु चारों ओर सन्नाटा था । अब क्या होगा ? कैसे होगा ? दोनों सिखों का व्यवहार कैसा होगा ? इस प्रकार के कई प्रश्न लोगों के मनों में उठ रहे थे । उधर दोनों सिखों ने प्रातः उठकर दही के साथ स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किए और प्रसन्नचित मुद्रा में बैरक से बाहर निकल कर वट वृक्ष तक फांसी वाले स्थान पर पहुंच गए । लोगों के दिलों की धड़कनें थम गईं और सब चौकन्ने हो गए । 'ज बाबा ज्ञाना सिंह तख्ते पर चढ़े तां बोला कीता: बिल्लया मुंह ते सामने रख पिठ क्यूं कीती है, दस महीनें किसे जट्टी दी कुख विच कटके फेर आया जाण, जवान होके बदले लवांगे .... नवे चौले पायके, जवान होयके, श्रीसाहिब

फड़ांगे.... तूसां ते तहत नूं उठावांगे, तूसां दे साथ लड़ाई करांगे ।' स्वंय गले में फंदा डाला, दोनों ने अरदास की, सत श्री अकाल का जयकारा लगाया, पांव के नीचे से तख्ता खींचा गया और वे दोनों फांसी के फंदे पर झूल गए । दोनों सिखों को बूडढा दरिया पर ले जाकर उनका अन्तिम संस्कार कर दिया गया ।

इस प्रकार भारत माता के दो सपूत, सत्गुरू रामसिंह के दो लाडले सूबा ज्ञानी रत्न सिंह और उसका साथी संत रत्न सिंह देश की स्वतन्त्रता और राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए।

आज उनकी शहीदी को 136 वर्ष हो गए हैं और हम सत्गुरू रामसिंह जी के कूका आन्दोलन की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं । परन्तु लुधियाना में पुरानी जेल वाले स्थान पर जहां नामधारी शहीद स्मारक का निर्माण हो रहा है वहां फांसी वाला वट वृक्ष अपनी वृद्धावस्था में भी जवानी महसूस कर रहा है क्योंकि उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, शहीदों का बलिदान जुड़ा है, शहीदों के स्पर्श ने उसे पवित्र कर दिया है । आज भी उसके पत्ते और टहनियां, लटकी हुई दाढ़ी हवा में हिलती हुई श्रद्धालुओं तथा दर्शनार्थियों को सूबा रत्न सिंह और संत रत्न सिंह के बलिदान की गाथायें सुनाती हुई प्रतीत होती हैं ।

हम देश की स्वाधीनता के प्रथम संग्राम में शहीद हुए इन दो रत्नों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं ।

'सलाम है उन शहीदों को, जो खो गए
वतन को जगाकर, जो खुद सो गए ।'

सूचना
एवं
जन
सम्पर्क
पंजाब